प्रेषक.

आयुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी।

सेवा में, सचिव,

> केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,शिक्षा केन्द्र—2,समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,नई दिल्ली।

पत्रांक / एन०ओ०सी० / \$195 (8) /2020-2! दिनॉक- \$1-10-२० २०

विषयः—एम०एल०आर०पी० पब्लिक स्कूल तरगुवा, तालबेहट—ललितपुर को सी०बी०एस०ई०बोर्ड,नई विल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापिता प्रमाण पत्र के सम्बद्धा में।

महोदय,

उपर्युक्त बिषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 1916/15—7—09—1(299)/2007 दिनॉक—14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी०बी० एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, लितपुर में स्थित संस्था एम०एल०आर०पी० पब्लिक स्कूल तरगुवा, तालबेहट—लितपुर के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जॉचोपरान्त दिल्ली एम०एल०आर०पी० पब्लिक स्कूल तरगुवा, तालबेहट—लितपुर को सी०बी० एस०ई०, बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्रं निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः एम०एल०आर०पी० पब्लिक स्कूल तरगुवा, तालबेहट—ललितपुर को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापित्त प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपित्त नहीं है—

- 1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रबन्धं समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नॉमित एक सदस्य होगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगे, और उनमें उ०प्र०,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेंट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- 6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

A

הוד המיוםור:

- 7. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8. विद्यालय का रिकार्ड,निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।
- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10. विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने की दशा में शासनादेशानुसार पूर्व से प्राप्त अन्य परिषदों की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा सम्बन्धित भूमि/भवन में अन्य किसी परिषद/बोर्ड की सम्बद्धता से विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापस ले लिया जायेगा।

> (सुमाष चन्द्र शर्मा) आयुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी। तददिनॉक—

पृद्धांकन संत / एन एंओं क्सींव / 4195 (ह) / 2020—21 तद्दिनाँ प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1. सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ०प्रव,शासन,लखनऊ।
- 2. वैयक्तिक सहायक,आयुक्त,झाँसी मण्डल झाँसी।
- 3. जिलाधिकारी, ललितपुर।
- 4. शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,लखनऊ।
- 5. जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर।
- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय,उ०प्र0,लखनऊ।

7. प्रबन्धक, एम०एल०आर०पी० पब्लिक स्कूल तरगुवा, तालबेहट—ललितपुर। 🔑

(संजय व्यादवें) संयुक्त शिक्षा निदेशक, झॉसी मण्डूल झॉसी।